ग्रीन कॉरिडोर : हर पांच किमी. पर होगा ईवी चार्जिंग स्टेशन

माई सिटी रिपोर्टर

एलीवेटेड रोड पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ने के लिए जगह-जगह बनेंगी सीढ़ियां

नदी को बिना प्रभावित किए होगा निर्माण, दोनों तरफ बनाएंगे ग्रीनबेल्ट

कलेक्ट्रेट सभागार में जिला जिला गंगा समिति की बैठक में शामिल अधिकारी। -संवाद

लखनऊ। गोमती नदी पर निर्माणाधीन ग्रीन कॉरिडोर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हर पांच किमी. पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके अलावा दोनों तरफ ग्रीनबेल्ट विकसित की जाएगी।पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ने के लिए लोग एलीवेटेड सड़क के ऊपर पहुंच सकें, इसके लिए सीढ़ियां भी आबादी के पास बनाई जाएंगी।

बुधवार को जिला गंगा समिति की बैठक में ग्रीन कॉरिडोर के प्रजेंटेशन के बाद इसमें कई कामों को शामिल करने निर्देश दिए गए हैं। जिला गंगा समिति के संयोजक और प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) अवध डॉ. रवि कुमार सिंह ने बताया कि भविष्य और पर्यावरण की जरूरत को देखते हुई ईवी को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में ग्रीन कॉरिडोर पर नदी के दोनों तरफ हर पांच किमी. पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है। इन चार्जिंग स्टेशनों को सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा। नदी के दोनों तरफ ग्रीनबेल्ट के लिए जगह छोड़कर यहां एलडीए पौधे लगाएगा, ताकि वनक्षेत्र विकसित हो सके। समिति के पदाधिकारियों ने यह भी निर्देश दिया कि निर्माण या इसके बाद गोमती नदी का बहाव किसी तरह से प्रभावित नहीं होना चाहिए।

समिति के सामने यह भी सवाल उठा कि मौजूदा एलीवेटेड रोड जैसे शहीद पथ या कुछ जगहों पर बंधा सड़क पर सीढ़ियां नहीं बनी हैं। इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, ऑटो-रिक्शा पकड़ने में लोगों को दिक्कत होती है। ग्रीन कॉरिडोर में अब इसे शामिल करने के लिए कहा गया है। इसमें आबादी के पास सीढ़ियों का निर्माण सर्विस लेन या स्थानीय सड़क से ग्रीन कॉरिडोर पर आने के लिए किया जाएगा।

■ बिना रेड लाइट के चलेगा ट्रैफिक : एलडीए की पीआईयू के तकनीकी सदस्य और पूर्व मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग एके सेंगर ने समिति को दिए प्रजेंटेशन में बताया कि पूरे ग्रीन कॉरिडोर पर कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं होगा। जहां भी चौराहा बनाने की जरूरत होगी, वहां सर्किल बनाकर वाहनों की आवाजाही निर्बाध रखी जाएगी। ग्रीन कॉरिडोर से उतरने के लिए भी अलग लेन से रैंप पर आना-जाना सुनिश्चित किया जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर की कुल लंबाई करीब 23 किमी. रहेगी। यह काम चार भाग में पूरा किया जाना है। इससे आईआईएम रोड से शहीद पथ होते हुए आउटर रिंगरोड को लिंक कर दिया जाएगा। भविष्य में ग्रीन कॉरिडोर शहर की लाइफलाइन बनेगा, इसका दावा भी प्रजेंटेशन में किया गया।

■ नदी किनारे निर्माण की अनुमति जरूरी : डीएफओ ने जिला पंचायती राज अधिकारी को ग्राम गंगा समिति और नगर आयुक्त को नगर गंगा समिति की बैठक नियमित कराने के लिए भी कहा है। यह भी निर्देश दिए गए कि गोमती नदी किनारे जो भी निर्माण होंगे उनको जिला गंगा समिति से अनुमोदन जरूर करा लिया जाए। समिति की अनुमति किसी भी निर्माण के लिए जरूरी है।

■ हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर से नदी में बहेगा पानी : समिति के पदाधिकारियों ने एलडीए से कहा है कि आबादी या गांवों की तरफ बारिश के दौरान पानी भरता है। यह नदी में अपने प्राकृतिक बहाव के साथ बह जाता है। ग्रीन कॉरिडोर बनने के बाद यह प्राकृतिक स्वरूप खत्म नहीं हो, इसके लिए बंधा बनाते समय हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर से पानी के बहाव को खुला रखा जाए। ग्रीन कॉरिडोर नदी और आबादी के तरफ के बारिश के पानी के लिए मेड़बंदी की तरह न हो, इसे सुनिश्चित कराएं।

■ 35 करोड़ में से कितने पौधे लग पाए : वर्ष 2023-24 में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक में इसकी समीक्षा की गई। इसमें डीएफओ ने एलडीए, यूपीपीसीबी, नगर निगम आदि विभागों के अधिकारियों से रिपोर्ट की समीक्षा की। सभी विभागों से अपनी अपडेट रिपोर्ट डीएफओ कार्यालय को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।